

ग्राम सभा

(राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3)

ग्राम सभा और उसकी बैठके :

- (1) प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांव या गांवों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावालियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होगे।

गणपूर्ति :

ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के दशांश से होगी, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सदस्यों और महिला सदस्यों की उपस्थिति उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी।

ग्राम सभा के कृत्य :

ग्राम सभा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये और किसी ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाये, निम्नलिखित कार्य करेगी :

- सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का, वार्ड सभा द्वारा अनुमादित योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में से पूर्विकता क्रम में, ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पंचायत द्वारा क्रियान्वयन के लिए जाने के पूर्व, अनुमोदन करना।
- गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की, उनकी अधिकारिता के अधीन आने वाली विभिन्न वार्ड सभाओं द्वारा पहचाने गये व्यक्तियों में से, पूर्विकता क्रम में पहचान या चयन।
- संबंधित वार्ड सभा से यह प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करना कि पंचायत ने खण्ड (क) में निर्दिष्ट उन योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी निधियों का सही ढंग से उपयोग कर लिया है, जिनका उस वार्ड सभा के क्षेत्र में व्यय किया गया है।
- कमजोर वर्गों को आंवटित भूखण्डों के संबंध में सामाजिक संपरीक्षा करना।
- आबादी भूमियों के लिए विकास की योजनाएं बनाना और अनुमोदित करना।
- सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नकद अथवा दोनों ही प्रकार के अभिदाय जुटाना।
- साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे क्षेत्र में समाज के सभी समुदायों के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना।
- किसी भी विशिष्ट क्रिया कलाप, स्कीम, आय और व्यय के बारे में पंचायत के सदस्यों और सरपंच से स्पष्टीकरण मांगना।
- वार्ड सभा द्वारा अभिशंसित संकर्मों में से पूर्विकता क्रम में विकास संकर्मों की पहचान और अनुमोदन।
- लघु जल निकायों की योजना और प्रबंध।
- गौण वन उपजों का प्रबंध।
- सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियन्त्रण।
- जनजाति उप-योजनाओं को सम्मिलित करते हुए स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के स्रोतों पर नियन्त्रण।
- ऐसे पंचायत सर्किल के क्षेत्र की प्रत्येक वार्ड सभा द्वारा की गयी अभिशंसओं के बारे में विचार और अनुमोदन, और
- ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किये जायें।